उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

अघनु साहु बनाम जगमोहन साहु

वाद सं0 :– 02/2018–19

वाद का प्रकार :– म्यूटेशन रिविजन (Mutation Revision)

अपीलार्थी श्री अघनु साहु, पिता – स्व0 अगीन साहु ग्राम–सोनमेर थाना–बसिया जिला–गुमला द्वारा दाखिल– खारिज अपील वाद सं0 – 12/2013–14 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, गुमला द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने व उनके अपील को स्वीकृत करने के निमित्त अपील किया गया है।

उक्त अपील के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस कर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है।

इस वाद का मुख्य केन्द्र बिन्दू थाना – बसिया के मौजा – सोनमेर के निम्नांकित भूमि से है, जिसे अपीलार्थी द्वारा नाजायज तरीके से दाखिल–खारिज करवाया गया हैं

खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
04	468	2-13 एकड
06	545	0.02 एकड
	546	0.05 एकड
	756	0.65 एकड
	1117	0.31 एकड
	606	0.19 एकड
89	708	0.56 एकड

दोनों पक्षों के विद्य अधिवक्ताओं को न्यायालय के समक्ष किए गए बहस उपरांत लखित बहस, Ruling & documents के साथ प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। दोनो पक्षों का Written Argument प्राप्त है।

अपीलार्थी के विद्य अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि खाता नं0–06 एवं 89 जो ग्राम सोनमेर थाना–बसिया जिला–गुमला में अवसिथत है का खतियानी रैयत रिविजनल सर्वे में अघनु तेली वल्द चमरा तेली व जयनाथ तेली वल्द पचु उर्फ मधु तेली पिता–जमनु तेली

Scanned with CamScanner

के नाम से दर्ज है। उनके द्वारा बमरा तेली का वंश वृक्ष लिखित जवाब में दर्शाया गया है। जिसके अनुसार अपीलार्थी एवं उत्तरवादी दोनों सहोदर भाई हैं। प्रश्नगत भूमि के विवाद को देखते हुए दोनों की सहमति से दिनांक 27.03.2005 को एक पंचायती हुई जिसमें अपीलार्थी को 3.91½ एकड़ जमीन हिस्से में मिला एवं उत्तरवादी को 3.91 एकड़ जमीन हिस्से में मिला जिसका पंचायती का दस्तावेज भी तैयार किया गया। यह कि उक्त पंचायती बंटवारा के बाद दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से की जमीनों पर दखलकार हुए और बिना किसी व्यवधान के खेती बारी करने लगें। यह कि वर्ष 2010 में अपीलार्थी द्वारा पंचायती बंटवारा के आधार पर अपने हिस्से की जमीन को नामान्तरण हेतु अंचल कार्यालय बरिया में आवेदन दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा पंचायती नामा बंटवारा के आधार पर उनके हिस्से की जमीन का नामान्तरण आदेश पारित किया गया। यह कि उत्तरवादी द्वारा अपीलार्थी के नाम से नामान्तरण की जानकारी होने के बाद भी 03 वर्षों के पश्चात् उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया। परन्तु 03 वर्षों के पश्चात् उत्तरवादी के द्वारा अपील दाखिल की गई जिसमें भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए पुनः अंचल अधिकारी, बसिया को प्रेषित कर दिया गया।

उनके द्वारा यह भी अपने जवाब में अंकित किया गया है कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला द्वारा दिनांक 27.05.2005 के पंचायती बंटवारा को उपेक्षा करते हुए आदेश पारित किया गया है जबकि सादा बंटवारा के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक रुलिंग भी दाखिल किया गया था जिसमें सादा बंटवारा को मान्यता दी गई है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं हैं इसलिये भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिमीजन वाद को स्वीकार किया जाय।

अपीलार्थी के Written Argument के साथ निम्नांकित कागजात भी संलग्न है :–

1.पंचायती बंटवारा का छाया प्रति खतियान – छायाप्रति।
2.दाखिल खारिज वाद संख्या 28 आर 27/10–11की – छायाप्रति।
3.दाखिल–खारिज का जांच प्रतिवेदन
4.करेक्शन स्लीप की छाया प्रति
5.मालगुजारी रसीद की छाया प्रति
6.कानून किताब की छाया प्रति

उत्तरवादी के विद्य अधिवक्ता से भी प्रश्नगत वाद से संबंधित Written Argument प्राप्त है, जिसमें उत्तरवादी के माता लालो देवी द्वारा प्रेषित आवेदन भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,

Scanned with CamScanner

गुमला को सम्बोधित है जिसकी प्रति समर्पित किया गया है जिसके अनुसार – अपीलार्थी एवं उत्तरवादी दोनों सहोदर भाई हैं जिसकी मैं माता हूँ। उनका कहना है कि मेरे स्व0 पति अमीन साहु के जमीन पर कोई पंचायती बंटवारा नहीं हुआ है। मेरे बडे पुत्र अधनु साहु ने नाजायज तरीके से अपने नाम से दाखिल खारिज कराया है और अपने सुविधा के अनुसार अंचल कार्यालय के पदाधिकारियों से मिलकर आदेश प्राप्त किया जो अनुचित है। उनके द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला द्वारा पारित आदेश को बहाल रखते हुए अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय।

उत्तरवादी के Written Argument के साथ निम्नांकित कागजात भी संलग्न है :–

1.अपीलार्थी एवं उत्तरवादी की माँ लालो देवी द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,को दिया आवेदन की छायाप्रति।

2.दाखिल–खारिज अपील संख्या 12/2013–14 में पारित आदेश नकल की छायाप्रति।

3.मौजा– सोनमेर थाना– बसिया का आर एस खतियान खाता नं0– 89 की छायाप्रति।

निम्न न्यायालय के पारित आदेश व उभय पक्षों के प्रस्तुत तर्कों के सम्यक अवलोकन एवं समीक्षोपरांत स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामला स्वत्व (Title) का प्रतीत होता है। अपीलार्थी चाहें तो सक्ष्म न्यायालय का शरण ले सकते है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला
11/3/15

उपायुक्त,
गुमला
11/3/15

Scanned with CamScanner